मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

दूरभाष क्र. 0755–2550091

बारहवीं बैठक

मनरेगा अंतर्गत वित्त वर्ष 2011–12 में राशि जारी करने संबंधी एप्राईज़ल कमेटी की बारहवीं बैठक दिनांक 16.01.2012 का कार्यवाही विवरण।

दिनांक 16.01.2012 को शाजापुर, देवास, डिण्डोरी, बैतूल एवं टीकमगढ़ को आमंत्रित किया गया। उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर है। एप्राईज़ल कमेटी के सदस्यों में मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 9334 NREGSMP वित्त एवं लेखा/2011 दिनांक 24.09.11 एवं 9482 दिनांक 29.09.11 में अंकित सदस्य उपस्थित हुए। परिशिष्ट 02।

आदेश क्र. 11549/NR-4 भोपाल दिनांक 12/12/2011 जिलों को निर्देश दिये गये कि प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अनिवार्य रूप से निर्दशित क्रम में ही संलग्नक लगाऐं एवं सलग्नकों की पेंजिंग एवं Indexing भी निम्नानुसार करें। यह भी सुनिश्चित किया जाये की प्रस्ताव एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों पर जिला कार्यक्रम समन्वयक अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं लेखाधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से हों –

संबंधित दस्तावेज	पृष्ठ क्र. ..... से ..... तक

निम्न क्रमवार जिलों के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत राशि मांग के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

जिला – बैतूल

- अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में लेखा संबंधी अधिकारी नियुक्ति नहीं होने से योजनान्तर्गत कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा हैं । तथा जिले के उपस्थिति अधिकारियों द्वारा जिले में लेखा संबंधी अधिकारी पदस्थ करने का निवेदन समिति से किया गया। परिषद् की स्थापना शाखा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगी।

- जिले के उपस्थिति प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि जिले के एक विकास खण्ड भीमपुर में मजदूरी भुगतान प्राप्त किये जाने हेतु लगभग 62 कि.मी. दूर तक का सफर हितग्राही को तय करना पड़ता है। इस हेतु एच.डी.एफ.सी. बैंक द्वारा वी.सी. नियुक्ति करने का प्रस्ताव जिले को प्राप्त है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला उक्त प्रस्ताव अनुसंशा सहित परीक्षण के लिये परिषद् कार्यालय को प्रेषित करें।

- समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि ग्रमीण सड़क संपर्क योजना अन्तर्गत कार्यों को शीघ्रता के साथ पूर्ण किया जाये ।

- समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिले में टापअप के साफ्टवेयर के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा रही है। उक्त साफ्टवेयर के अन्तर्गत जिला कार्यवाही कर 15 दिवस में अवगत कराये।

- समिति द्वारा जिले के उपस्थिति अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कन्वर्जेंस अन्तर्गत सी.सी. रोड़ के निर्माण में नाली निर्माण भी आवश्यक रूप से किये जाये।

- अप्रसन्नता व्यक्त की गई कि पूर्व की एप्राईजल कमेटी का पालन प्रतिवेदन जिले द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जिला तत्काल भेजे।

- वित्त वर्ष 2012–2013 का प्रशासनिक बजट की मांग जिले से अप्राप्त है जिले द्वारा यह जानकारी 23–01–2012 तक भेजी जाये। अन्यथा आगामी वर्ष का बजट स्वीकृत करने में अवरोध होगा।

- फायनेनशियल मेनेजमेंट एवं ऑडिट सॉफ्टवेयर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वंय अनुश्रवण करें।

- जिले के एसएमएस आधारित मजदूर एवं मजदूरी आधारित व्यवस्था को परिषद् की एमआईएस शाखा मनरेगा पोर्टल से लिंक करें। परिषद् की एमआईएस शाखा को निर्देश दिये गये कि प्रत्येक जिले के ऐसे इनोवेटिव कार्य को परिषद् की वेबसाईट से लिंक किया जाये। पूर्व में भी जिन जिलों में इनोवेटिव कार्य हुए है। उनको भी लिंकअप करें।

- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर रूपया 30 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई ।

जिला – देवास

- जिले के प्रस्ताव में लंबित भारत सरकार की शिकायते एवं विधानसभा से संबंधी की स्थिति नही पायी गई। जिले को निर्देशित किया गया कि भविष्य में उचित प्रकार से ही निर्देशानुसार प्रस्ताव भेजे जायें।
- जिले के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि राशि रूपये 2.00 करोड़ तकनीकी कारणों से एम.आई.एस. में प्रदर्शित नहीं हो रही है। जिले के अधिकारियों को समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सिस्टम एनालिस्ट से समन्वय स्थापित कर उक्त समस्या को निराकृत कर अवगत कराये।
- समिति द्वारा जिले को निर्देशित किया गया कि शेडो एरिया की पंचायतों में तत्काल मजदूरी भुगतान संबंधी मैपिंग एवं सुदृढव्यवस्था कार्यवाही पूर्ण कर अवगत करावे। यह कार्यवाही 07 दिवस के अंदर की जाये।
- जिले के एमआईएस पर असंतोष व्यक्त किया गया। जिला ध्यान दे।
- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अवगत कराया गया कि राशि रूपये 10.00 करोड़ कन्वर्जेंस के अन्तर्गत निर्माण की जाने वाली सड़कों पर एवं राशि रूपये 10.00 करोड़ पंचायतों हेतु उपलब्ध कराया जाना है।
- सीसी रोड़ की कार्य पद्धति पर जिला नियमानुसार कार्यवाही करवाये।
- कालूछैना संबंधी भारत सरकार की शिकायत पर कार्यवाही तत्काल कर अवगत करावें।
- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर राशि रूपये 20 करोड़ की अनुसंशा की गई थी जिसमें से पूर्व में जारी राशि रूपया 5 करोड़ समायोजन करने के उपरान्त राशि रूपये 15.00 करोड़ जारी किया जाना है।

जिला – डिण्डोरी

- समिति द्वारा जिले को वास्तविक किये गये व्यय एवं एमआईएस में इन्द्राज किये गये व्यय के अन्तर को दूर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- समिति द्वारा जिले को निर्देशित किया गया कि किसी भी स्थिति में योजनान्तर्गत कार्यो में इस प्रकार की मशीनरी का उपयोग न किया जावे, जिस काम को मजदूरों द्वारा जा सकता है।
- समिति द्वारा जिले को अवगत कराया गया कि टेली समाधान शिकायतों का निराकरण निचले स्तर पर ही नियमानुसार कर दिया जावे। जिससे कि उक्त शिकायतें आगामी स्तर तक अन्तरित न हो सकें।

- जिले में न्यूनतम मजदूरी दर कम होने पर समिति द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई। जिले के अधिकारियों द्वारा उक्त स्थिति का निराकरण किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया।

- ग्रामीण सड़क सम्पर्क योजनान्तर्गत द्वितीय एवं तृतीय चरण के कार्यों को एक सप्ताह में प्रारंभ किये जाने हेतु जिले को समिति द्वारा निर्देशित किया गया।

- जिले का प्रशासनिक बजट वित्त वर्ष 2012–13 की मांग एवं आंकलन तत्काल प्रस्तुत किया जाये।

- जिले को निर्देशित किया गया कि मैपिंग संबंधी कार्यवाही में शैडो ऐरिया के ग्रामों में वैकल्पिक व्यवस्था करने के संबंध में लीड मैनेजर को निरंतर समन्वय हेतु कहा जाये तथा राज्य स्तरीय समन्वयक को भी इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही हेतु सूचना भेजी जाये। इसके बाद भी बैंकों के असहयोग को परिषद् को अवगत भी कराया जाये।

- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर राशि रूपये 20 करोड़ की अनुसंशा की गई थी जिसमें से पूर्व में जारी राशि रूपया 5 करोड़ समायोजन करने के उपरान्त राशि रूपये 15.00 करोड़ जारी किया जाना है।

जिला – टीकमगढ़

- समिति द्वारा जिले के उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया गया कि जिला अन्तर्गत भारत शासन द्वारा सबसे अधिक 10 शिकायतें लंबित है। एवं राज्य स्तर एवं अन्य शिकायतें भी लंबित है। न्यायालीन 14 प्रकरण लंबित है। टेली समाधान में शिकायतें लंबित है 06 आश्वासन, 07 याचिकाएं लंबित है। उक्त शिकायतों का निराकरण दिनांक 3 फरवरी 2012 तक किये जाने का आश्वासन अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा दिया गया, एवं उक्त दिनांक को उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

- चर्चा के मध्य तथ्य दृष्टिगत हुये कि जिले में टापअप किये जाने संबंधी निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। उक्त पर समिति द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई । जिले में शासन निर्देशो की अवहेलना की जा रही है तथा अपने स्तर से ही टापअप किया जा रहा है । जिससे कि लगभग 30.00 करोड़ राशि ग्राम पंचायतों में डम्प हो गई है। उक्त राशि में से भी लगभग 10.00 करोड़ राशि विवादित की श्र `णी में है। समिति द्वारा जिले के अधिकारियों को अवगत कराया कि यदि टापअप शासन निर्देशों के अनुरूप किया जाता तो उक्त राशि विवादित नहीं होती। टॉपअप संबंधी शासन के निर्देशों पालन किया जाये।

- जिला ने टॉपअप संबंधी सर्कुलर का पालन क्यों नहीं किया इस संबंध में स्पष्टीकरण 07 दिवस में प्रस्तुत किया जाये। कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।

- कार्यपालन यंत्री आरईएस तत्काल एमआईएस सुनिश्चित करें।

- कार्यों के पूर्णता का प्रतिशत तत्काल बढाया जाये।
- जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पंचायतों में दर्शित राशि रूपये 30.00 करोड़ में से डम्प राशि वापस किया जाकर अन्यत्र मांग वाली पंचायतों में जारी किया जाये।
- समिति द्वारा कार्यपालन यंत्री आरईएस को शतप्रतिशत एमआईएस निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
- बुन्दैलखण्ड पैकेज का दिसम्बर माह का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाये। भविष्य में भी इस संबंध में विलम्ब न किया जाये।
- पूर्व की एप्राईजल कमेटी का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया इस हेतु अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है। तत्काल प्रस्तुत करें।
- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर राशि रूपये 15 करोड़ की अनुसंशा की गई थी जिसमें से पूर्व में जारी राशि रूपया 5 करोड़ समायोजन करने के उपरान्त राशि रूपये 10.00 करोड़ जारी किया जाना है।

जिला – शाजापुर

- समिति द्वारा जिले को निर्देशित किया गया कि मस्टर रोल मूल्यांकन उपरान्त वापिस प्राप्त होने में 15 दिवस से अधिक का समय लग रहा है। इसको कम किया जाये जिससे कि एमआईएस में व्यय की एन्ट्री ससमय की जा सकें।
- समिति द्वारा जिले को निर्देशित किया गया कि राज्य स्तरीय एवं राष्ट्र स्तरीय क्वालिटी मॉनीटर कण्डिकाओं को प्राप्त कर तत्काल निराकृत अवगत कराये।
- ग्रामीण सड़क संपर्क योजना के द्वितीय एवं तृतीय चरण के कार्यों को शीघ्रता से प्रारंभ किये जाने हेतु जिले को निर्देशित किया गया।
- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर राशि रूपये 8.00 करोड़ की अनुसंशा की गई ।

<u>इसी के साथ निम्न निर्देश भी दिये जाते हैं –</u>

1. जिले के प्रशासनिक व्यय के संबंध में व्यय के सही वर्गीकरण हेतु एवं सही MIS हेतु निर्देशित किया गया।
2. वित्त वर्ष 2010–11 की सीए ऑडिट रिपोर्ट के प्रारंभिक शेष को तत्काल MIS में अंकित किया जाये।

3. SQM एवं ऑडिट की कण्डिकाओं का पालन जिले तत्काल सुनिश्चित कर परिषद को प्रेषित करें।

4. संकल्प संबंधित कोई भी बिन्दु जिले में लंबित न रखा जाऐ।

5. मानव दिवस में गिरावट न हो एवं योजना संचालन सफलता पूर्वक हो। इस गिरावट के कारणों की सूक्ष्मता से वर्यवेक्षण करें।

6. 60 : 40 का अनुपात का संधारण हो।

7. औसत मजदूरी भुगतान की स्थिति पर नियंत्रण रखें।

8. ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यय पर नियमानुसार परीक्षण करें। कार्यों के कंटिनजेंसी व्यय का सही उपयोग हो इस हेतु ध्यान आकर्षित किया गया। ग्राम पंचायतों को वर्तमान में प्रशासनिक व्यय अनुमत्य नहीं है एवं जिन मदों में अनुमत्य है वह जनपद के प्रशासनिक व्यय पर ही समायोजित होगा।

9. ऑडिट एवं फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट के सॉफ्टवेयर में समस्त आकड़ें तत्काल अंकित किए जाऐं। इसी प्रकार मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के सॉफ्टवेयर में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आकड़े अंकित करना सुनिश्चित करें।

10. भविष्य में जिले अपनी मांग प्रस्ताव भेजने समय मासिक लेबर बजट के विरूद्ध कितना व्यय हुआ एवं जो प्रस्ताव है वह किस प्रकार मासिक लेबर बजट से सुसंगत है इस को भी अंकित कर स्पष्ट रूप से राशि का प्रस्ताव रखा करें।

11. जिलों को यह भी निर्देशित किया जाता है जिन ग्राम पंचायतों में अत्याधिक वित्तीय संव्यवहार हो रहें हैं उनके संबंध में सूक्ष्म अनुश्रवण किया जाऐ।

12. यदि किसी जिले को लेबर बजट में संशोधन कराना है तो तत्काल ही परिषद् में जानकारी भेंजे।

13. 12 वें एवं 13 वें वित्त आयोग के उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं विधानसभा प्रश्न आश्वासन आदि जोकि आयुक्त पंचायत से संबंधित है। लंबित न रहें।

14. अपूर्ण कार्यों को तत्काल पूर्ण कराया जाये।

15. मजदूरी भुगतान में विलम्ब न हो एवं MIS से मजदूरी भुगतान में विलम्ब का पत्रक निकालकर जिले उसके उपर नियमति समीक्षा करें।

16. आंतरिक लेखा परीक्षण संबंधी कार्यवाही को तत्काल संपादित करें एवं इस संबंध में मुख्यालय द्वारा चाही गई जानकारी तत्काल भेजे।

आयुक्त मनरेगा एवं अध्यक्ष एप्राइज़ल कमेटी द्वारा अनुमोदित।

(डॉ0 राजीव सक्सेना)
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
एवं सदस्य सचिव एप्राइज़ल कमेटी

पृ.क्रमांक / 603 /NR4/MGNREGS-MP /12 भोपाल, दिनांक 17 /01 /12

प्रतिलिपि –

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त पंचायती राज संचालनालय, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य अभियंता मनरेगा मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संयुक्त आयुक्त मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा) मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संचालक, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सिस्टम एनालिस्ट मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला बैतूल, देवास, डिण्डोरी, टीकमगढ़ एवं शाजापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल, देवास, डिण्डोरी, टीकमगढ़ एवं शाजापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
एवं सदस्य सचिव एप्राइज़ल कमेटी

परिशिष्ट – 02

उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.	अधिकारी का नाम	पद	उपस्थित दिनांक
1	श्री नीरज मण्डलोई	आयुक्त मनरेगा	16.01.2012
2	श्री प्रभाकान्त कटारे	मुख्य अभियंता	16.01.2012
3	डॉ. राजीव सक्सेना	संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)	16.01.2012
4	श्री विकास मिश्रा	संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)	16.01.2012
5	श्री प्रद्युम्न शर्मा	संचालक, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, मनरेगा	16.01.2012
6	श्री उवेश अहमद	सिस्टम एनालिस्ट	16.01.2012

परिशिष्ट-1

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मिटिंग दिनांक 16.01.2012 (16/01/2012)

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद	जिला का नाम	मोबाईल नं.	हस्ताक्षर
1	M.S. Marskoley	EE RES	Dindori	9425164493	
2	D.K. Masharia	EE(RES)	Teekamgarh	9977516057	
3	MOHIT GUPTA	A.O.	Shajapur	94253-78035	Mohit Gupta
4	Subodh Dixit	MEC(NREGA)	Shajapur	9755010812	
5	K.C. Sharma	ACEO Z.P.	Shajapur	9425353169	
6	P.S. Tomar	E.E.R.E.S	Sajapur	9425356332	
7	Braj Bhushan Tiwari	D.E.O	Shajapur	9685009334	
8	P.C. SOLANKI	CEO DIKas	Tikamgarh	9425174224	
9	Ritesh Khare	D.E.O.	Tikamgarh	9893397905	
10	अनिल गुप्ता	मीडिया अधिकारी	बैतूल	9425003646	
11	A.K Sixena	AEMGNREGA	Zila Panchayat Betul	9179226647	
12	S. S. Ali	EE.RES.Betul	Betul.	8889006111	
13	Ashutosh Sharma	A.O. MGNREGS	Dewas	9424947000	
14	Ravi Shakya	Sr. Data Manager	Betul	9300057392	
15	Virendra Singh Baghel	PO-MGNREGS	Dewas	94240-91400	V. Baghel
16	SmtRakhi Tiwari	Sr. Data Mgr.	Dewas	98263-00509	
17					
18					
19					
20					
21					
22					